

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं वन अग्नि दुर्घटना आदि की प्रभावी रोकथाम एवं प्रबन्धन की दृष्टि से वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारियों का राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्गों पर वाहनो से नियमित आवागमन होता है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 72 ए के प्रावधानों के तहत वन अधिकारी को किसी भी भूमि पर प्रवेश करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्गों पर वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारियों से टोल वसूली नहीं की जावेगी, की शर्त पर इस प्रोजेक्ट के स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।


(सोनल बौरिहार)
उप वन संरक्षक
बून्दी (राज.)